कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद।

पत्र संख्या:एफ0एस0- 86 /2011 दिनांक: जनवरी 30, 2012

सेवा में,

परियोजना अधिकारी
ट्रोनिका सिटी परियोजना,
प्रशासनिक भवन, सैक्टर बी-3,
दिल्ली सहारनपुर रोड,
ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद।

विषय: मै0 प्रथम बिल्डकोन प्रा0 लि0 द्वारा भूखण्ड संख्या सी-3/1, आवासीय सैक्टर सी-3, ट्रोनिका सिटी, लोनी, गाजियाबाद पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के मानचित्रों पर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका पत्रांक 11597/एसआईडीसी/पीओटीसी दिनांक 25.01.2012

महोदय,

आपके उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र अनुसार मै0 प्रथम बिल्डकोन प्रा0 लि0 द्वारा भूखण्ड संख्या सी-3/1, आवासीय सैक्टर सी-3, ट्रोनिका सिटी, लोनी, गाजियाबाद पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन में मानचित्रों का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिगत निरीक्षण / परीक्षण किया गया, निम्न तथ्य दृष्टिगत हुए।

भवन विद्यमान (एक्जिस्टिंग)+प्रस्तावित (प्रपोज्ड) टाइप का ग्रुप हाउसिंग भवन है। भवन में कुल पांच ब्लॉक (1,2,3,4 तथा 5 हैं), जिसमें ब्लॉक 1,2,3 आपस में मिले हुए हैं जबकि 4 और 5 पृथक-पृथक हैं। टैरेस पर सभी को ब्रिज लिंक से जोड़ा जाना प्रस्तावित हैं। सभी ब्लॉक के नीचे बेसमेन्ट प्रस्तावित हैं जो वस्तुतः एक ही है जिसका कुल प्लट ऐरिया 17000.00 वर्ग मीटर, ग्राउन्ड कवरेज (ग्राउन्ड+स्टिल्ट फलोर)= 5022.422 वर्ग मीटर (29.543 प्रतिशत), बेसमेन्ट 13656.831 वर्ग मीटर (11630.312 प्रस्तावित + 2026.519 विद्यमान) है, ब्लॉकों का विवरण निम्नवत है-

CFO

ब्लॉक का नाम	आक्यूपेन्सी	तलों की संख्या	उंचाई	स्थिति	प्रस्तावित स्टेयर की चौड़ाई
1 (मर्करी)	रेजीडेन्सियल	स्टिल्ट+11	35.74 मीटर	प्रस्तावित	1.5 मी0 तथा 1.25 मी0
2 (मर्करी)	रेजीडेन्सियल	स्टिल्ट+11	35.74 मीटर	प्रस्तावित	1.5 मी0 तथा 1.25 मी0
3 (मर्करी)	रेजीडेन्सियल	स्टिल्ट+11	35.74 मीटर	प्रस्तावित	1.5 मी0 तथा 1.25 मी0
4 (वीनस)	रेजीडेन्सियल	स्टिल्ट+11	35.74 मीटर	विद्यमान+ प्रस्तावित	1.5 मी0 तथा 1.25 मी0 तथा 1.25 मी0
5 (जुपीटर)	रेजीडेन्सियल	स्टिल्ट+11	35.74 मीटर	विद्यमान+ प्रस्तावित	1.5 मी0 तथा 1.25 मी0 तथा 1.25 मी0

1. विद्यमान भाग का पूर्व स्वीकृत मानचित्र अनुपलब्ध होने के कारण उसका ढांचागत संरचना सम्बन्धी (स्टेयर, निकास, सेटबैक, उंचाई आदि) परीक्षण आप द्वारा अपेक्षित है।
2. सैट बैक - भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार उपलब्ध है। अवरोधमुक्त सेट बेक 45 टन प्रति वर्ग मीटर लोड बियरिंग कैपिसीटी फायर टेण्डर मूवमेन्ट सदैव अवरोधरहित रखा जाना अनिवार्य होगा।
3. ट्रेवलिंग डिस्टेंस सभी ब्लॉक / तलों पर एन0बी0सी0-2005 व उ0प्र0 आवास उपविधि-2008 के अनुरूप होगा।

<u>प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थांए -</u>

1. सभी तलों पर आई0एस0 2190 के अनुरूप फायर एक्सटिंग्यूशर्स स्थापित किये जायें।
2. सभी ब्लॉकों में मानक के अनुरूप वेटराईजर स्थापित कर सभी तलों पर होजरील, लैण्डिंग वाल्व विद होज कैबिनेट स्थापित किये जायें।
3. बेसमेन्ट में तथा शॉप में ऑटोमैटिक स्प्रिन्कलर सिस्टम स्थापित किया जाये।

CFO

4. बेसमेन्ट में 700 वर्ग मीटर की दूरी पर स्प्रिन्कलरों को अत्यन्त निकट लगाते हुए इस प्रकार व्यवस्था की जायेगी कि वाटर कर्टेन के रूप में प्रयोग किया जा सके।

5. सभी तलों पर मानक के अनुरूप मोयफा सिस्टम स्थापित किये जायें।

6. सभी टावरों के ग्राउन्ड फलोर में फायर कन्ट्रोल रूम बनाया जाये।

7. 75000 लीटर क्षमता का भूमिगत तथा 10000 लीटर क्षमता का टैरेस टैंक बनाया जाये।

8. 1620 एल0पी0एम0 क्षमता का एक डीजल चालित व 1620 एल0पी0एम0 क्षमता का एक इलैक्ट्रिक चालित पंम्प एवं एक 180 एल0पी0एम0 क्षमता का जॉकी पम्प अवश्य स्थापित किये जायें।

9. सभी बेसमेन्ट में पृथक-पृथक मैकेनिकल वेन्टीलेशन का प्राविधान एन0बी0सी0 2005 के मानकों के अनुरूप कराया जाये।

10. सभी ब्लॉकों की एक स्टेयर को एन0बी0सी0 मानकों के अनुरूप फायर टावर के रूप में बनाया जाये।

11. फायर स्केप स्टेयर में सभी तलों पर फायर प्रुफ डोर स्थापित किये जायें।

12. निकास मार्गों के प्रदीप्त चिन्ह सभी तलों पर लगाये जायें।

13. विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत से फायर पम्प लिफ्ट तथा कॉमन सर्विस को जोड़ा जाये।

14. सभी पम्प सदैव आटोमोड में रखे जायें।

15. अग्निशमन पद्धतियों का अनुरक्षण करते हुए वर्ष में न्यूनतम दो बार फायर ड्रिल करायी जाये।

16. निष्क्रमण योजना बनाकर अग्निशमन पद्धतियों के प्रचलन के लिए स्टाफ / प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये।

17. शासन द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरान्त निहित फीस जमा कर अग्निशोधन का सावधि नवीनीकरण आवश्यक होगा।

18. उपरोक्त के अतिरिक्त एन0बी0सी0 के मानकों के अनुसार अन्य वांछित व्यवस्थाओं को भी पूरा करना होगा।

अतः उपरोक्त शर्तों के आधार पर प्रस्तुत मानचित्र पर प्राथमिक / अस्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

भवन निर्माण के उपरान्त अध्यासन के पूर्व अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस बीच में यदि भवन निर्माण / मानचित्र में कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्निशमन विभाग से उसका पुनः परीक्षण कराना अनिवार्य होगा अन्यथा यह प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाये।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गाजियाबाद

प्रतिलिपिः

1. मै0 प्रथम बिल्डकोन प्रा0 लि0 द्वारा भूखण्ड संख्या सी-3/1, आवासीय सैक्टर सी-3, ट्रोनिका सिटी, लोनी, गाजियाबाद को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
2. अग्निशमन अधिकारी, हिन्डन, गाजियाबाद को सूचनार्थ।

30.1.12

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
गाजियाबाद